सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

(पीठासीन अधिकारी श्री केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या :– **12/01/2020**

1. तरूण भारत संघ ग्राम भीकमपुरा तहसील थानागाजी जिला अवलर जरिये अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह जरिये अधिकृत प्रतिनिधी सुरेश रैकवार ......अपीलान्ट

बनाम

1. कन्हैया लाल पुत्र नारायण सहाय जाति गुर्जर निवासी भांवता तहसील थानागाजी
2. ग्राम पंचायत बलदेवगढ पंचायत समिति राजगढ जिला अलवर
3. सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ ....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा–75 राज0 भू–राज0 अधि0 1956
उपस्थित:– श्री श्रवण लाल मीना एडवोकेट –अपीलान्ट

निर्णय **दिनांक 05.08.2021**

1. आज यह अपील वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वकील अपीलान्ट द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की अन्तर्गत धारा 75 प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा संख्या 98/1462/0.23 है0 किस्म बंजड वाके ग्राम धीरोडा तहसील राजगढ में अवस्थित है। अपीलान्ट तरूण भारत संघ ग्राम भीकमपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर जरिये तत्कालीन महामंत्री अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 11.12.2006 को रामस्वरूप पुत्र भागीरथ गुर्जर निवासी धीरोडा तहसील राजगढ से खरीद की गई थी। बाद खरीद अपीलान्ट तरूण भारत संघ ग्राम भीकमपुरा तहसील थानागाजी अपनी खरीदशुदा आराजी पर काबिज होकर उपयोग में लेता आ रहा है। अपीलान्ट ने अपनी खरीदशुदा आराजी का नामान्तकरण दर्ज कराये जाने हेतु आवेदन किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 284 निर्णय दिनांक 20.01.2007 दर्ज कर दिया। नामान्तकरण संख्या 284 में खाना नम्बर 9 मे प्रविष्टी दर्ज की गई जिसमे

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2021.08.18 10:59:31 IST
Reason: SelfAttested

पटवारी हल्का द्वारा कन्हैया लाल पुत्र नारायण सहाय गुर्जर दर्ज कर दिया जो रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 11.12.2006 के अनुसार गलत इन्द्राज दर्ज हुआ। जिससे अपीलान्ट के हकूक खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर कन्हैया लाल पुत्र नारायण सहाय गुर्जर के स्थान पर मुताबिक रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 11.12.2006 के अनुसार तरूण भारत संघ ग्राम भीकमपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर दुरूस्त किया जावें।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 बाद सूचना तामिल उपस्थित न्यायालय नहीं आये। अतः उनकी तरफ से इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। अपील अपीलान्ट द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में इन्तकाल संख्या 284 निर्णय 20.01.2007, रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 11.12.2006 आदि पेश की है।

3. बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। दौरान–ए–बहस विद्वान वकील अपीलान्ट के द्वारा अपील अपीलान्ट में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि नामान्तकरण संख्या 284 निर्णय दिनांक 20.01.2007 की कार्यवाही निरस्त किया जाकर रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 11.12.2006 के मुताबिक अपीलान्ट का नाम दर्ज किया जावें।

4. पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस अपीलान्ट का मनन एवं विश्लेषण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज नामान्तकरण संख्या 284 निर्णय दिनांक 20.01.2007 वाके ग्राम बलदेवगढ व रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 11.12.2006 का भी अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified

5. प्रकरण में रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 11.12.2006 के प्र[illegible]द्राज का उद्धरण इस प्रकार है कि

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2021.08.18 10:59:31 IST
Reason: SelfAttested

पक्ति संख्या–1 लगायत 03–

मैं रामस्वरूप आयु करीब 45 साल पुत्र भागीरथ जाति गुर्जर निवासी ग्राम धीरोडा तहसील राजगढ जिला अलवर का हूँ। जो कि आराजी खसरा संख्या 98/1462/0.23 है0 किस्म बंजड वाके ग्राम धीरोडा तहसील राजगढ जिला अलवर में है।

पक्ति संख्या–10 लगायत 13–

''तरूण भारत संघ'' ग्राम भीकमपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर जरिये महामंत्री कन्हैया लाल पुत्र नारायण सहाय जाति गुर्जर निवासी ग्राम भांवता तहसील थानागाजी जिला अलवर को बयऐवज कुल 46000/– छियालिस हजार रूपये में मुताबिक हिस्सा के अनुसार मोल–माला कलाम बेच दी।

6. प्रकरण में रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 11.12.2006 के आधार पर स्वीकार व निर्णित नामान्तकरण संख्या 284 दिनांक 20.01.2007 ग्राम पंचायत बलदेवगढ तहसील राजगढ के प्रासंगिक इन्द्राज का उद्धरण करना यहॉ उचित प्रतीत होता है जो इस प्रकार है–

पूर्व की प्रविष्टी	पश्चात् की प्रविष्टी	आराजी
रामस्वरूप पुत्र भागीरथ जाति गूर्जर हिस्सा 5/7 बाकी हिस्सा बदस्तूर	*कन्हैया लाल पुत्र नारायण सहाय जाति गुर्जर निवासी ग्राम भांवता तहसील थानागाजी जिला अलवर हिस्सा 5/7 बाकी हिस्सा बदस्तूर रहेगा।*	*98/1462/0.23 है0 किस्म बंजड वाके ग्राम धीरोडा तहसील राजगढ*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2021.08.18 10:59:31 IST
Reason: SelfAttested

7. अपील अपीलान्ट से यह तथ्य स्पष्ट साबित होता है कि [illegible] नामान्तकरण संख्या 284 दिनांक 20.01.2007 वाके ग्राम बलदेवगढ के आधार पर अपीलान्ट की [illegible] आराजी खसरा संख्या 98/1462/0.23 है0 किस्म बंजड वाके ग्राम धीरोडा तहसील राजगढ में अवस्थित है। जो आराजी जरिये रजिस्टर्ड

बयनामा दिनांक 11.12.2006 को रामस्वरूप पुत्र भागीरथ गुर्जर निवासी धीरोडा तहसील राजगढ से खरीद की गई थी। बाद खरीद अपीलान्ट ''तरूण भारत संघ'' ग्राम भीकमपुरा तहसील थानागाजी अपनी खरीदशुदा आराजी पर काबिज होकर उपयोग में लेता आ रहा है। अपीलान्ट ने अपनी खरीदशुदा आराजी का नामान्तकरण दर्ज कराये जाने हेतु आवेदन किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 284 निर्णय दिनांक 20.01.2007 दर्ज कर दिया। नामान्तकरण संख्या 284 में खाना नम्बर 9 मे प्रविष्टी दर्ज की गई जिसमे पटवारी हल्का द्वारा कन्हैया लाल पुत्र नारायण सहाय गुर्जर दर्ज कर दिया जो रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 11.12.2006 के अनुसार गलत इन्द्राज दर्ज हुआ जो कि काबिल दुरूस्त योग्य है। इस प्रकार अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात से अपील अपीलान्ट तथ्य पूर्ण रूप से साबित है। अतः

आदेश है कि

अपील अपीलान्ट विरूद्ध इन्तकाल संख्या 284 निर्णय दिनांक 20.01.2007 को स्वीकार किया जाता है। इन्तकाल संख्या 284 पर निर्णय दिनाक 20.01.2007 ग्राम पंचायत बलदेवगढ की कार्यवाही निरस्त करते हुये तहसीलदार राजगढ को इस आदेश दिये जाते है कि वो मुताबिक रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 11.12.2006 के अनुसार पुनः नामान्तकरण दर्ज कर निर्णित करने की नियमानुसार कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजगढ को पालना हेतू भिजवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2021.08.18 10:59:31 IST
Reason: SelfAttested

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
(अलवर)